संख्या-97/2017/5758/71-2-17-पी-30/2016

प्रेषक,

डा0 रजनीश दुबे,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
एस0जी0पी0जी0आई0
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 26 दिसम्बर, 2017

विषय- वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत मानक मद 26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र की सूची अनुमोदित किये जाने के संबंध में।

---

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-पीजीआई/एमएम/बजट(2017-18)/843, दिनांक 24-11-2017 के संदर्भ में तथा शासनादेश संख्या-72/2017/3482/71-2-17-पी-30/2016, दिनांक 01-11-2017 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत मानक मद 26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष संस्थान के सुचारू रूप से संचालन हेतु उपलब्ध करायी गयी अतिरिक्त उपकरणों की सूची (संलग्नक में उल्लिखित उपकरणों) निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन अनुमोदित की जाती है-

1) वास्तविक आवश्यकता/उपयोगिता के आधार पर ही सम्बन्धित उपकरणों के क्रय की कार्यवाही संस्थान स्तर से नियमानुसार सुनिश्चित की जायेगी।
2) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण तभी किया जायेगा, जब उपकरण क्रय संबंधी समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति संस्थान द्वारा कर ली जाये।
3) वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 03-8-2017 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन किया जायेगा।
4) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं व्यय, आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।
5) प्रस्तावित उपकरणों की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी निदेशक/वित्त अधिकारी/संबन्धित विभागाध्यक्ष की होगी।
6) दर अनुबन्ध/निविदा निर्गत होने से पूर्व वित्त नियंत्रक द्वारा मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/सम्बन्धित विभागाध्यक्ष से इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लेगें कि प्रस्तावित उपकरण किसी एक विशेष कम्पनी की विशिष्टियॉ न हो तथा बाजार में उपलब्ध उच्च स्तर की कम्पनियों की विशिष्टियों (Technical Specifications) का यथासम्भव समावेश किया जाये।
7) वित्त नियंत्रक द्वारा सी0वी0सी0 एवं वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा समय-समय पर इस सम्बन्ध में निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
8) निदेशक/वित्त नियंत्रक द्वारा क्रय हेतु भण्डार क्रय नियमों का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जायेगा।
9) प्राइज जस्टिफिकेशन संबंधी अभिलेख उपलब्ध कराना आवदेक निदेशक/वित्त अधिकारी/विभागाध्यक्ष/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक की जिम्मेदारी होगी।
10) संस्थान के वित्त नियंत्रक्/वित्त अधिकारी यह सुनिश्चित करेगें कि उपकरणों का क्रय किए जाने में व्यापक प्रचार प्रसार किया गया हो और उपकरणों का क्रय न्यूनतम मूल्य पर किया जाय। उपकरणों के अनुश्रवण, अधिष्ठान आदि तथ्यों का परीक्षण एवं निर्धारण निविदा के समय अवश्य कर ली जाय।
11) उक्त उपकरणों का क्रय किए जाने के सम्बन्ध में समस्त औपचारिकताएं नियमानुसार पूर्ण किए जाने के पश्चात्, यदि उपकरण क्रय के पश्चात् धनराशि की बचत होती है तो उसे चालू वित्तीय वर्ष में क्रय किए जाने वाले अन्य उपकरणों में तदनुसार समायोजित किया जायेगा।
12) संबंधित उपकरण/संयंत्र के क्रय में सुसंगत वित्तीय नियमों, उ0प्र0 प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल (प्रोक्योरमेन्ट आफ गुड्स) 2016 के प्राविधानों तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग द्वारा निर्गत ई-टेण्डर/ई-प्रोक्योरमेन्ट/गवमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टल से संबंधित शासनादेशों का पूर्णत: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
13) उपकरणों का क्रय सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त कर किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

( ड0 रजनीश दुबे )
प्रमुख सचिव।

*संख्या-97/2017/5758(1)/71-2-17-तद्दिनांक*

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4. वित्त अधिकारी, एस0जी0पी0जी0आई0 लखनऊ।
5. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
6. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 इलाहाबाद।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

( नीलेश कुमार सिंह )
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

**शासनादेश संख्या- 97/2017/5758/71-2-17-पी-30/2016, दिनांक 26 दिसम्बर, 2017 का संलग्नक।**

**COLLEGE OF MEDICAL TECHNOLOGY REQUIREMENT OF EQUIPMENTS & OTHER EXPENSES**

| Sl.No. | | Name of Equipment | Quantity |
|---|---|---|---|
| **1.** | **Specialized Lab** | Spectra Visualization Table for Anatomy Lab | 01 |
| | | Physiology Assessment Trainer for Physiology Lab | 01 |
| | | Comprehensive Clinical Examination System for Physiology Lab | 01 |
| | | Comprehensive Lungs and Chest Examination Simulator for Physiology Lab | 01 |
| | | Endovascular Evaluator system for Physiology Lab | 01 |
| | | Angio simulator for interventional Training for Physiology Lab | 01 |
| | | **Total** | |
| **2.** | **Office automation** | Computer | 23 |
| | | Computer Printer | 23 |
| | | Photocopier | 02 |
| | | Model Class room with audiovisual system | 05 |
| | | Desk & Chair for Lecture & Conference Room | 90 desk + 300 chair |
| | | Water Cooler with RO system | 03 |
| | | Airconditioner | 41 |
| | | Laptop i7 | 07 |
| | | Internet & wi-fi facility for Lecture Room, Conference Room, Committee Room & Offices of the College & Faculty | |
| | | **Total** | |
| **03.** | **Physiotherapy Lab** | Equipments & tools for physiotherapy lab (Orthotics & Prosthetics Lab) | 183 products as per P-2 |
| **04.** | **Anatomy Lab** | Equipments & tools for Anatomy Lab | 35 products as per P-2 |
| **05.** | **Library** | Books & journals | As per list |
| **06.** | **Others** | Other miscl. expenses | |

¼ uhy'k dekj flg ½
vu lfpoA

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।